



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932

No. 115]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के बीच प्रत्यर्पण संबंधी करार

सा.का.नि. 192(अ).—जबकि भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के बीच प्रत्यर्पण संधि पर कैनबरा में 23 जून, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे; और अनुच्छेद 20.1 के अनुसार यह करार 20 जनवरी, 2011 से लागू हो गया है और जिस प्रत्यर्पण संधि करार में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य और आस्ट्रेलिया गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "संविदाकारी राज्य" कहा गया है);

प्रत्यर्पण संधि संपन्न करके आतंकवाद से जुड़े अपराधों सहित अन्य अपराधों का दमन करने में दोनों देशों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;

निम्नलिखित अनुसार सहमत हुए हैं—

अनुच्छेद-1

प्रत्यर्पण का दायित्व

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे राज्य को इस संधि के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत होता है जो किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में मुकदमा चलाये जाने, किसी सजा को लागू अथवा प्रवर्तित किये जाने हेतु वांछित है।

अनुच्छेद-2

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पणीय अपराध किसी भी रूप में वर्णित वे अपराध हैं जिनके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून में कम से कम एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कैद अथवा इससे कड़े दण्ड का प्रावधान है। जहां प्रत्यर्पण का अनुरोध ऐसे किसी अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है जो किसी कैद की सजा के प्रवर्तन के लिए वांछित है, तो प्रत्यर्पण तभी प्रदान किया जाएगा जब ऐसी सजा की कम से कम छह माह की अवधि पूरी की जानी शेष हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करने में कि क्या कोई अपराध दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के विरुद्ध किया गया अपराध है :

(क) यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों के कानून अपराध के कृत्यों अथवा चूकों को अपराध की उसी श्रेणी में रखते हैं अथवा उस अपराध का नामकरण उसी शब्दावली में करते हैं; और

(ख) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गयी है उसके द्वारा तथाकथित रूप से किए गए कृत्यों अथवा चूकों की समग्रता पर ध्यान दिया जाएगा और यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत अपराध के संघटक तत्वों में अंतर है या नहीं।

3. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा चाहे वह कराधान, सीमा-शुल्कों, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अथवा अन्य राजस्व मामलों से संबंधित हो अथवा पूर्णतः राजकोषिय स्वरूप का हो। इस आधार पर प्रत्यर्पण से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून उसी प्रकार का कर अथवा शुल्क नहीं लगाता है अथवा वहां के कानून में उसी प्रकार का कर, शुल्क, सीमा-शुल्क अथवा मुद्रा विनियम संबंधी विनियम शामिल नहीं है जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में है।

4. जहां अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र के बाहर किया गया है तो प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में ऐसी ही परिस्थितियों में इसके भू-क्षेत्र से बाहर किए गए किसी अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान है। जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने विवेकाधिकार के तहत प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है।

5. इस संधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा चाहे जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है वह इस संधि के लागू होने के पहले अथवा बाद में किया गया हो बशर्ते कि सभी मामलों में—

(क) जिस समय तथाकथित रूप से वे कृत्य अथवा चूक के रूप में अपराध हुए हों उस समय अनुरोधकर्ता राज्य में यह अपराध रहा हो; और

(ख) तथाकथित रूप से किए गए कृत्य अथवा चूक, यदि वे प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किए जाने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में हुए हों तो उस राज्य में प्रवृत्त कानून के विरुद्ध अपराध होंगे।

अनुच्छेद-3

संयुक्त अपराध

इस संधि के अनुसार किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा चाहे भले ही वांछित व्यक्ति का व्यवहार पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में हुआ हो यदि उस राज्य के कानून के अंतर्गत यह व्यवहार और इसका प्रभाव अथवा इसके इच्छित प्रभाव को समग्र रूप से अनुरोधकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में किया गया प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाता हो।

अनुच्छेद-4

इंकार करने के आधार

1. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि :

(क) वह अपराध जिसका कोई व्यक्ति अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है वह सैन्य अपराध है जो कि सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत कोई अपराध भी नहीं है;

(ख) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गयी है यदि वह अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार कालातीत हो जाने के कारण अभियोजन अथवा दण्ड से उन्मुक्त हो गया हो;

(ग) यदि वह अपराध, जिसका वह वांछित व्यक्ति अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है अथवा कोई अन्य अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को इस संधि के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान है जब तक कि प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ इस आशय का वचन नहीं दिया जाता कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा अथवा यदि दिया गया तो इसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

2. प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि वह अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का है। इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा :—

(क) ऐसा अपराध जिसके संबंध में संविदाकारी राज्यों का यह दायित्व है कि वे प्रत्यर्पित करने अथवा किसी बहुपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा अभिसमय, जिसके दोनों संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं, के अंतर्गत मामले को अभियोजन के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें;

(ख) राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने अथवा जान से मारने का प्रयास करने से संबंधित अपराध;

(ग) हत्या, गैर-इरादतन हत्या अथवा मानव वध;

(घ) ऐसा कोई अपराध जिसमें आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों, अग्निबमों, विनाशक हथियारों अथवा पदार्थों का उपयोग करके जानहानि, गंभीर शारीरिक चोट अथवा संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया हो;

- (ड) आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत, अनुरोध के समय राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाता है; अथवा
- (च) उपर्युक्त में से किसी अपराध को करने, उसमें भाग लेने अथवा उकसाने का षडयंत्र अथवा प्रयास करना ।
3. निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :—
- (क) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है उसके लिए यदि उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है और अंततः कार्रवाई की गयी है;
- (ख) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के पास यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि प्रत्यर्पण का अनुरोध उस व्यक्ति की जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनैतिक मत के आधार पर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने अथवा उसे दंडित करने के लिए किया गया है अथवा यह कि उस व्यक्ति की स्थिति उनमें से किन्हीं कारणों से दुष्प्रभावित हो सकती है;
- (ग) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है यदि उसे सजा दी गयी है अथवा उस पर अनुरोधकर्ता राज्य में किसी असाधारण अथवा तदर्थ न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा सजा दी जा सकती है;
- (घ) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का मानना है कि जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण वांछित है, उसे अभ्यर्पित करने से उसकी आयु अथवा स्वास्थ्य सहित अन्य कारणों से उस पर आपवादिक रूप से गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ।

अनुच्छेद 5

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक को दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। यदि प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर उस मामले को इस संधि के प्रावधानों और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार अभियोजनार्थ सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे ।

अनुच्छेद 6

प्रत्यर्पण एवं अभियोजन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध से इंकार किया जा सकता है यदि इसके लिए वांछित व्यक्ति पर उस राज्य के न्यायालयों में प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो ।
2. जहां कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 में स्पष्ट किए गए कारणवश प्रत्यर्पण के अनुरोध से इंकार करता है तो वह मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा ताकि मुकदमा चलाए जाने पर विचार किया जा सके । वे प्राधिकारी अपना निर्णय उसी ढंग से लेंगे जैसा कि उस राज्य के कानून के तहत गंभीर प्रकृति के किसी अपराध के मामले में लिया जाता है ।
3. यदि सक्षम प्राधिकारी मुकदमा नहीं चलाए जाने का निर्णय लेते हैं तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः विचार किया जाएगा ।

अनुच्छेद 7

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों के जरिए सूचित किए जाएंगे ।
2. प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में दिए गए सभी दस्तावेजों को अनुच्छेद 9 के पैरा 2 के अनुसार अभिप्रमाणित किया जाएगा । अनुरोध तथा सहायक दस्तावेजों की तीन-तीन प्रतियां भी प्रदान की जाएंगी। तथापि, इन प्रतियों को अभिप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।
3. अनुरोध के साथ निम्नलिखित होंगे :
 - (क) वांछित व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिए आवश्यक ब्यौरे जिसमें, जहां संभव हो, फोटो और अंगुलियों के निशान शामिल हैं;
 - (ख) व्यक्ति के वर्तमान स्थान, यदि ज्ञात हो, का विवरण;
 - (ग) प्रत्येक अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है;
 - (घ) उन कृत्यों तथा चूकों के ब्यौरे जो कि प्रत्यर्पण की मांग किए जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित हैं;
 - (ड) प्रत्येक अपराध को पारिभाषित करने वाली और दी जाने वाली सजा की व्याख्या करने वाले कानून का पाठ; और
 - (च) कार्यवाही अथवा सजा से संबंधित यदि कोई परिसीमन हो तो उसे दर्शाने वाला एक विवरण ।

4. यदि अनुरोध किसी अभियुक्त से संबंधित है तो उसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट या उसकी प्रति और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा आवश्यक ऐसे दस्तावेज अथवा अन्य सूचना भी साथ चाहिए जो यह उचित ढंग से स्थापित करे कि वांछित व्यक्ति ने वह अपराध किया है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और यह भी स्थापित करें कि व्यक्ति जिसके लिए अनुरोध किया गया है वही व्यक्ति है जिसका वारंट में संदर्भ है।

5. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो पहले से ही दोषसिद्ध और सजा प्राप्त है तो उसके साथ निम्नलिखित भी होंगे :

(क) दोषसिद्ध तथा सजा से संबंधित प्रमाण-पत्र, और

(ख) यह विवरण कि सजा प्रवर्तनीय है और कितनी सजा अभी पूरी की जानी शेष है।

6. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता है कि इस संधि के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज या उपलब्ध करायी गयी अन्य जानकारी पर्याप्त नहीं है जिससे कि अनुरोध के अनुसार कोई निर्णय लिये जा सके तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की अपेक्षा के अनुसार निर्धारित समय के अंदर अतिरिक्त दस्तावेज अथवा अन्य जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

7. यदि किसी विशेष मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को इसकी आवश्यकता होती है तो अनुरोधकर्ता राज्य इस संधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज का अनुवाद उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 8

समर्पण की सहमति

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में समर्पण करने के लिए राजी हो जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने कानूनों के अध्यक्षीन बिना आगे की किसी कार्रवाई के यथाशीघ्र उस व्यक्ति को सौंप देगा।

अनुच्छेद 9

साक्ष्य/प्रमाणीकरण

1. अनुच्छेद 7 के अनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ संलग्न किसी दस्तावेज को अभिप्रमाणित होने पर ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेज अभिप्रमाणित है यदि :

(क) इसे अनुरोधकर्ता राज्य में अथवा उसके किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा प्रमाणित किया गया हो; और

(ख) इसे अनुरोधकर्ता राज्य के सरकार अथवा विभाग के किसी मंत्री अथवा अधिकारी की सरकारी मोहर द्वारा प्रमाणित किया गया हो; अथवा

(ग) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से इसे अभिप्रमाणित किया गया है।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में वर्णित दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा चाहे उन्हें मूलतः अनुरोधकर्ता राज्य में बनाया गया हो अथवा किसी तीसरे राज्य में।

अनुच्छेद 10

अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामले में, कोई संविदाकारी राज्य प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने तक वांछित व्यक्ति की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। अनंतिम गिरफ्तारी संबंधी अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए सूचित किया जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध की सूचना देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

2. अनंतिम गिरफ्तारी के आवेदन में निम्नलिखित होंगे :

(क) वांछित व्यक्ति का विवरण;

(ख) वांछित व्यक्ति का पता, यदि ज्ञात हो;

(ग) यदि संभव हो, तो अपराध के समय और स्थान सहित मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण;

(घ) उल्लंघन किए गए कानूनों का विवरण;

(ङ) वांछित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट होने का विवरण अथवा अपराध का निष्कर्ष या दोषसिद्धि संबंधी निर्णय; और

(च) यह विवरण कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा।

3. अनुरोधकर्ता राज्य को, उसके आवेदन पर की गई कार्रवाई से तथा किसी प्रकार की अस्वीकृत के कारणों को बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा।

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी को अनुच्छेद 7 में अपेक्षित सहायक दस्तावेज और प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तो अनंतिम रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को इस संधि के अनुसरण में अनंतिम गिरफ्तारी की तिथि से साठ (60) दिनों की समाप्ति पर हिरासत से रिहा किया जा सकता है।

5. यह तथ्य कि इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसरण में वांछित व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर दिया गया है, उस व्यक्ति की बाद में पुनः गिरफ्तारी तथा प्रत्यर्पण बाधित नहीं होगा, यदि बाद की किसी तिथि को प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध और सहायक दस्तावेज प्राप्त होता है।

अनुच्छेद 11

समवर्ती अनुरोध

1. यदि किसी एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध दो अथवा अधिक राज्यों से प्राप्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति को उन राज्यों में से किसे प्रत्यर्पित किया जाए और अपने निर्णय की सूचना अनुरोधकर्ता राज्यों को देगा।

2. यह निर्धारित करते समय कि कोई व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सभी संगत परिस्थितियों और विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा :

- (क) यदि अनुरोध भिन्न-भिन्न अपराधों से संबंधित है—अपराधों की सापेक्ष गंभीरता;
- (ख) अन्य राज्य अथवा राज्यों के साथ किसी प्रत्यर्पण संधि की मौजूदगी;
- (ग) प्रत्येक अपराध के घटित होने का समय एवं स्थान;
- (घ) अनुरोधों की संबंधित तिथियां;
- (ङ) व्यक्ति की राष्ट्रियता; और
- (च) व्यक्ति के निवास का सामान्य स्थान।

अनुच्छेद 12

समर्पण

1. प्रत्यर्पण के अनुरोध पर जैसे ही निर्णय ले लिया गया हो, वैसे ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस निर्णय की सूचना अनुरोधकर्ता राज्य को देगा।

2. जहां प्रत्यर्पण मंजूर हो जाता है, वहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य व्यक्ति को अपने भू-क्षेत्र में उसी प्रस्थान बिंदु से और उसी समय पर समर्पण करेगा जैसा कि अनुरोधकर्ता राज्य के परामर्श से तय किया जाए।

3. अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र से ऐसी उपयुक्त अवधि के अंदर हटा लेगा जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य विनिर्दिष्ट करे और यदि उस अवधि के दौरान उस व्यक्ति को नहीं हटाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

4. यदि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पण अथवा हटाने से किसी संविदाकारी राज्य को उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियां रोकती हैं तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी सूचना देगा। दोनों संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण की नई तिथि तय करेंगे और इस अनुच्छेद के पैरा 3 के उपबंध लागू होंगे।

अनुच्छेद 13

संपत्ति का अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत अनुमत्य सीमा तक अपराध के फलस्वरूप अधिगृहीत की गई अथवा साक्ष्य के रूप में आवश्यक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में पायी गयी सभी संपत्ति अभ्यर्पित की जाएगी यदि प्रत्यर्पण मंजूर किया जाए और अनुरोधकर्ता राज्य से इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हो।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अध्याधीन उपर्युक्त संपत्ति प्रत्यर्पण न किए जाने पर भी अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप दी जाएगी बशर्ते कि अनुरोधकर्ता राज्य इसके लिए अनुरोध करें।

3. जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून अथवा तीसरे पक्ष के अधिकारों के लिए यह अपेक्षित हो, इस प्रकार अभ्यर्पित की गयी कोई वस्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को, यदि वह राज्य इसके लिए अनुरोध करे, निःशुल्क लौटायी जाएगी।

882 4011-2

अनुच्छेद 14

प्रत्यर्पण और अस्थायी समर्पण का स्थगन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति का समर्पण स्थगित कर सकता है ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके अथवा इसलिए कि वह व्यक्ति जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, उसे छोड़कर किसी अन्य अपराध की सजा प्राप्त करे। ऐसे मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता को तदनुसार सलाह देगा।

2. जब व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में किसी ऐसे अपराध के लिए सजा प्राप्त कर रहा हो जो कि उस अपराध से भिन्न हो जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है, तब अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप देगा जहां उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है। इस प्रकार अभ्यर्पित किए गए व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य की हिरासत में रखा जाएगा तथा उसे संविदाकारी राज्यों द्वारा परस्पर तय की गई लिखित शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही पूरी हो जाने के उपरांत अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 15

विशिष्टता का नियम

1. कोई भी व्यक्ति जिसे इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में वापस भेजा जाता है, उसे निम्नलिखित को छोड़कर उस भू-क्षेत्र में उसके वापस आने के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए अथवा उसके संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अथवा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा :—

(क) वह अपराध जिसके लिए उसे वापस भेजा गया था;

(ख) कोई अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके बारे में ऐसे तथ्यों का पता चला हो जिनके आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो बशर्ते कि उस अपराध के लिए कोई ऐसी शास्ति न लगी हो जो कि उस अपराध से कहीं अधिक कठोर हो जिसके लिए उस व्यक्ति को वापस भेजा गया; अथवा

(ग) कोई अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई करने के लिए सहमति दे दे।

2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए गए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यर्पण के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए तब तक किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इसके लिए सहमत न हो।

3. वर्तमान अनुच्छेद का पैरा 1 और 2 लागू नहीं होगा यदि उस व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़कर जाने का अवसर मिला हो तथा जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया था, उसके लिए अंतिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर उसने ऐसा न किया हो अथवा यदि वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने के पश्चात् उस भू-क्षेत्र में स्वेच्छा से वापस आया हो।

4. वर्तमान अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सहमति के लिए अनुरोध के साथ वर्तमान संधि के अनुच्छेद 7 में यथा उल्लिखित ऐसे दस्तावेज भेजे जाएंगे जो कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा मांगे जाएं।

अनुच्छेद 16

पारगमन

1. जहां किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य से एक संविदाकारी राज्य के भू-क्षेत्र से होकर दूसरे संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित किया जाना हो, तो वह राज्य, जहां उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, दूसरे संविदाकारी राज्य से यह अनुरोध करेगा कि वह उस व्यक्ति को अपने भू-क्षेत्र से होकर पारगमन करने की अनुमति दे। यह वहां लागू नहीं है, जहां हवाई यातायात का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे राज्य के भू-क्षेत्र में विमान का उतरना निर्धारित न हो। पारगमन करने वाले किसी व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है।

2. इस प्रकार का अनुरोध, जिसमें संगत जानकारी होगी, प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य स्वयं अपने कानून में दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसरण में इस अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई करेगा।

3. किसी विमान का आगमन निर्धारित न होने की स्थिति में पारगमन की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया जाने वाला राज्य अभिरक्षी अधिकारी के अनुरोध पर उस व्यक्ति को अपने कानून के अधीन तब तक हिरासत में रखेगा, जब तक कि वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार किया जाने वाला पारगमन अनुरोध प्राप्त न हो जाए।

अनुच्छेद 17

व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा तथा इसके अनुरोध के परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाहियों की लागत को वहन करेगा तथा अन्यथा अनुरोधकर्ता राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, उसकी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में अपने क्षेत्र में हुए व्यय का वहन तब तक करेगा जब तक कि वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता।
3. अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र से उस व्यक्ति को ले जाने में होने वाले व्यय को वहन करेगा।

अनुच्छेद 18

परामर्श

1. संविदाकारी राज्य दोनों में से किसी भी एक पक्ष के अनुरोध पर इस संधि के निर्वचन तथा लागू होने के संबंध में परामर्श करेंगे।
2. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी वैयक्तिक मामलों की कार्रवाई के संबंध में तथा इस संधि के क्रियान्वयन को बनाए रखने तथा इसकी प्रक्रियाओं में सुधार को आगे बढ़ाने में सीधे ही एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 19

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियों के अंतर्गत दायित्व

वर्तमान संधि से संविदाकारी राज्यों के अधिकार एवं दायित्व प्रभावित नहीं होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों, जिनके वे पक्षकार हैं, के कारण उत्पन्न हुए हैं।

अनुच्छेद 20

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस संधि के प्रवृत्त होने के लिए अपेक्षित अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। यह संधि इसकी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों पश्चात् प्रवृत्त होगी।

2. कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे को सूचना देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो यह संधि सूचना प्राप्त होने के छह माह बाद प्रभावी नहीं रहेगी।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत् प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

कैनबरा में जून, दो हजार आठ के तेइसवें दिन अंग्रेजी तथा हिंदी में दो-दो प्रतियों में संपन्न, दोनों भाषाएं समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अतः, अब, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश करती है कि अध्याय-III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान 30 अगस्त, 1971 के आदेश सा.का.नि. 1381 के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं के स्थान पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आस्ट्रेलिया गणराज्य पर लागू होंगे।

[सं. टी-413/08/2000]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कॉंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2011

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND AUSTRALIA

G.S.R. 192(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and Australia was signed at Canberra on 23rd June, 2008; and the Treaty entered into force with effect from 20th January, 2011 in accordance with Article 20.1 and which Extradition Treaty provides as follows :

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND AUSTRALIA

The Republic of India and Australia (hereinafter referred to as the 'Contracting States')

Desiring to make more effective the co-operation of the two countries in the suppression of crime, including offences related to terrorism, by concluding a treaty on extradition.

Have Agreed as follows :

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Contracting State agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty, any person who are wanted for trial, or the imposition or enforcement of a sentence, in the Requesting State for an extraditable offence.

ARTICLE 2**EXTRADITABLE OFFENCES**

1. For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences, however described, which are punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment for a maximum period of at least one year or by a more severe penalty. Where the request for extradition relates to a person convicted of such an offence who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment, extradition shall be granted only if a period of at least six months of such penalty remains to be served.

2. For the purpose of this Article, in determining whether an offence is an offence against the law of both Contracting States:

- (a) it shall not matter whether the laws of the Contracting States place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology; and
- (b) the totality of the acts or omissions alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Contracting States, the constituent elements of the offence differ.

3. An offence may be an extraditable offence notwithstanding that it relates to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, or is one of a purely fiscal character. Extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs, or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting State.

4. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, extradition shall be granted if the law of the Requested State provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. Where the law of the Requested State does not so provide the Requested State may, in its discretion, grant extradition.

5. Extradition shall be granted pursuant to the provisions of this Treaty irrespective of whether the offence for which extradition is sought was committed before or after entry into force of this Treaty, provided in all cases that :

- (a) it was an offence in the Requesting State at the time of the acts or omissions constituting the offence are alleged to have occurred; and
- (b) the acts or omissions alleged would, if they had taken place in the territory of the Requested State at the time of the making of the request for extradition, have constituted an offence against the law in force in that State.

ARTICLE 3**COMPOSITE OFFENCES**

Extradition shall also be available in accordance with this Treaty for an extraditable offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting State.

ARTICLE 4**GROUND OF REFUSAL**

1. Extradition shall not be granted if :

- (a) the offence of which a person is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law;
- (b) if the person whose extradition is sought has, according to the law of the Requesting State, become immune from prosecution or punishment by reason of lapse of time;
- (c) if the offence with which the person sought is accused or convicted or any other offence for which that person may be detained or tried in accordance with this Treaty, carries the death penalty under the law of the Requesting State, unless the extradition request includes an undertaking that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.

2. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character. For the purposes of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character :

- (a) an offence in respect of which the Contracting States have an obligation to extradite or submit the case to their competent authorities for prosecution, under a multilateral/international treaty or convention to which both Contracting States are parties;

- (b) an offence in respect of the taking or attempted taking of the life of a Head of State, Head of Government, or a member of that person's family;
- (c) murder, culpable homicide or manslaughter;
- (d) an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property;
- (e) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character; or
- (f) conspiracy or attempt to commit, or participation in, or abetment of, any of the foregoing offences.

3. Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- (a) if the person has been tried and finally dealt with in respect of the offence for which extradition is sought;
- (b) if the Requested State has substantial grounds to believe that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that the person's position may be prejudiced for any of those reasons;
- (c) if the person whose extradition is requested has been sentenced or would be liable to be tried or sentenced in the Requesting State by an extraordinary or ad hoc court or tribunal;
- (d) if the Requested State believes that the surrender is likely to have exceptionally serious consequences for the person whose extradition is sought, including because of the person's age or state of health.

ARTICLE 5

EXTRADITION OF NATIONALS

The nationals of one Contracting State may be extradited to the other Contracting State. If extradition is not granted, the Requested State shall, on the request of the Requesting State, submit the case to its competent authorities for prosecution in accordance with the provisions of this Treaty and the laws of the Requested State.

ARTICLE 6

EXTRADITION AND PROSECUTION

1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.
2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
3. If the competent authorities decide not to prosecute the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

ARTICLE 7

EXTRADITION PROCEDURES

1. The request for extradition under this Treaty shall be made in writing and communicated through diplomatic channels.
2. All documents submitted in support of a request for extradition shall be authenticated in accordance with paragraph 2 of Article 9. Three copies of the request and supporting documents shall also be provided. However, the copies need not be authenticated.
3. The request shall be accompanied by:
 - (a) the details necessary to establish the identity and nationality of the person sought including, where possible, photographs and fingerprints;
 - (b) a statement of the current location of the person, if known;
 - (c) a statement of each offence for which extradition is sought;
 - (d) a statement of the acts and omissions which are alleged against the person in respect of each offence for which extradition is sought;
 - (e) the text of the laws creating each offence and describing the penalty which may be imposed; and

(f) a statement as to whether there is any limitation in respect of proceedings or punishment.

4. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest, or a copy thereof, issued by a Judge, Magistrate, or other competent authority in the territory of the Requesting State and such documents or other information required by the Requesting State as would reasonably establish that the person sought has committed the offence for which extradition is requested and to establish that the person requested is the person to whom the warrant refers.

5. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by:

- (a) a certificate of conviction and sentence; and
- (b) a statement that the sentence is enforceable and how much of the sentence remains to be served.

6. If the Requested State considers that the documents or other information supplied for the purposes of this Treaty are not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional documents or other information shall be submitted within such time as the Requested State may require.

7. If in any particular case the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 8

CONSENT TO SURRENDER

If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

ARTICLE 9

EVIDENCE/AUTHENTICATION

1. A document that, in accordance with Article 7, accompanies a request for extradition shall be admitted in evidence, if authenticated, in any extradition proceedings in the territory of the Requested State.

2. A document is authenticated for the purposes of this Treaty if:

- (a) it purports to be signed or certified by a Judge, Magistrate or an official in or of the Requesting State; and
- (b) it purports to be authenticated by the official seal of a Minister of Government, or of a Department or official of the Requesting State; or
- (c) it has been authenticated in such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

3. Documents described in paragraph 1 of this Article shall be admitted in evidence whether they originated in the Requesting State or in a third State.

ARTICLE 10

PROVISIONAL ARREST

1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sought, pending presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through diplomatic channels. The facilities of the International Criminal Police Organisation (Interpol) may be used to transmit such a request.

2. The application for provisional arrest shall contain:

- (a) a description of the person sought;
- (b) the location of the person sought, if known;
- (c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offence;
- (d) a description of the laws violated;
- (e) a statement of the existence of a warrant of arrest, or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and
- (f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.

3. The Requesting State shall be notified without delay of the action taken on its application and the reasons for any denial.

4. A person who is provisionally arrested may be released from custody on the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Treaty if the executive authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article 7.

5. The fact that the person sought has been released from custody pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the subsequent re-arrest and extradition of that person, if the extradition request and supporting documents are delivered at a later date.

ARTICLE 11

CONCURRENT REQUESTS

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person, the Requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify the Requesting States of its decision.

2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all relevant circumstances and, in particular, to :

- (a) if the requests relate to different offences—the relative seriousness of the offences;
- (b) the existence of an extradition treaty with the other State or States;
- (c) the time and place of commission of each offence;
- (d) the respective dates of the requests;
- (e) the nationality of the person; and
- (f) the ordinary place of residence of the person.

ARTICLE 12

SURRENDER

1. The Requested State shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting State.

2. Where extradition is granted, the Requested State shall surrender the person at a time, and from a point of departure in its territory as may be decided in consultation with the Requesting State.

3. The Requesting State shall remove the person from the territory of the Requested State within such reasonable period as the Requested State may specify and, if the person is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite that person for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or removing the person to be extradited it shall notify the other Contracting State. The two Contracting States shall agree upon a new date of surrender, and the provisions of paragraph 3 of this Article shall apply.

ARTICLE 13

SURRENDER OF PROPERTY

1. To the extent permitted under the law of the Requested State all property found in the Requested State that has been acquired as a result of the offence or may be required as evidence shall be surrendered if extradition is granted and the Requesting State so requests.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, the abovementioned property shall, if the Requesting State so requests, be surrendered to the Requested State even if the extradition cannot be carried out.

3. Where the law of the Requested State or the rights of third parties so require, any articles so surrendered shall be returned to the Requested State free of charge if that State so requests.

ARTICLE 14

POSTPONEMENT OF EXTRADITION AND TEMPORARY SURRENDER

1. The Requested State may postpone the surrender of a person in order to proceed against that person, or so that the person may serve a sentence, for an offence other than the offence for which extradition is sought. In such a case the Requested State shall advise the Requesting State accordingly.

2. When the person is serving a sentence in the territory of the Requested State for an offence other than the offence for which extradition is sought, the Requested State may temporarily surrender the person to the Requesting State to be prosecuted for an offence for which extradition is sought. The person so surrendered shall be kept in custody in the

882 90/11-4

Requesting State and shall be returned to the Requested State after proceedings against the person have concluded, in accordance with written conditions to be mutually determined by the Contracting States.

ARTICLE 15

RULE OF SPECIALITY

1. Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not be detained or tried or subjected to any other restriction of her or his personal liberty, within the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than :

- (a) the offence in respect of which the person was returned;
- (b) any other extraditable offence disclosed by the facts upon which the request for extradition was based, provided that the offence does not carry a penalty which is more severe than that which could be imposed for the offence in respect of which the person was returned; or
- (c) any other extraditable offence in respect of which the Requested State may consent to the person being dealt with.

2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his extradition unless the Requested State consents.

3. Paragraphs 1 and 2 of the present Article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the Requesting State and has not done so within 45 days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting State after leaving it.

4. A request for the consent of the Requesting State under the present Article shall be accompanied by such of the documents as mentioned in Article 7 of the present Treaty as may be sought by the Requesting State.

ARTICLE 16

TRANSIT

1. Where a person is to be extradited to a Contracting State from a third State through the territory of the other State, the State to which the person is to be extradited shall request the other State to permit the transmit of that person through its territory. This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the other State is scheduled. A person in transit may be held in custody during the period of transit.

2. Upon receipt of such a request, which shall contain relevant information the Requested State shall deal with this request expeditiously pursuant to procedures provided by its own law.

3. In the event of an unscheduled landing, the State to be requested to permit transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody, subject to its law, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of the present Article.

ARTICLE 17

EXPENSES

1. The Requested State shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceedings arising out of a request for extradition and shall otherwise represent the interests of the Requesting State.

2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in relation to the arrest and detention of the person whose extradition is sought until that person is surrendered to the Requesting State.

3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in conveying the person from the territory of the Requested State.

ARTICLE 18

CONSULTATION

1. The Contracting States shall, at the request of either, consult concerning the interpretation and application of this Treaty.

2. The competent authorities of the Contracting States may consult each other directly in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

ARTICLE 19**OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL CONVENTIONS/TREATIES**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

ARTICLE 20**ENTRY INTO FORCE**

1. The Contracting States shall inform each other in writing of the completion of their internal procedures required for entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force thirty days after the date of the later communication.

2. Either of Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through diplomatic channels, and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after receipt of the notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Canberra this the twenty third day of June, two thousand and eight, in English and Hindi, both languages being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the Act, other than Chapter III, shall apply to Australia from the date of the publication of this notification, by repleasing the extradition arrangement between the two countries *vide* Order G.S.R. 1381 of 30th August, 1971.

[No. T-413/08/2000]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)